न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 97/2022 बउनवानी राजरानी यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कले. सवाईमाधोपुर
पत्नि डॉ0 भूपन्द्र सिंह यादव, 34, अल्कापुरी जयपुर तहसीलदार खण्डार
GCMS No-2022/168

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
14.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 13.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि परिवादिया द्वारा श्री हेतराम मीना गिरदावर फरिया के विरूद्व मा0 अध्यक्ष राजस्व मण्डल अजमेंर के जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक राम/भू.अ./ई–1/प.24/समा भरतपुर/12225 दिनांक 12.7.2021 एवं अर्द्व शासकीय पत्रांक प.24 दिनांक 18.1.2022 रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल की पालना में उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट एंव मेरे परिवादिया पर मा0 लोकायुक्त महोदय जयपुर को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट की मय संलग्नक मय रिकार्ड की प्रमाणित प्रति। (1) . यह है कि रजिस्ट्रार सहकार समितिया राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.15(4) राविरा/नियम/67 पार्ट–2/दिनांक 15.7.1998 जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित है की प्रमाणित प्रति तथा उक्त पत्रांक दिनांक 15.7.1998 की पालना में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर का पत्रांक एफ.2(40)/सह0समिति/राजस्व/89/1064–70 दिनांक 27.2.2001 2. यह है कि नामा0 संख्या 1651 दिनांक 12.1.2022एवं नामा0 संख्या 1646 दिनांक 20.7.2021 ग्राम दौलतपुरा मय संबंधित ख0न0 की विक्रमी सम्वत् 2079 की प्र0प्रति। 3. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक राजस्व/विविध/2021/1215–16 दिनांक 27.7.2021 एवं कार्यालय आदेश/राजस्व/विविध 21/3052 दिनांक 31.5.2021 एवं कार्यालय पत्रांक एफ.2(5)प्रा0जॉच/एलआर/20213343 दिनांक 25.6.2021 की पालना में उपजिला कलेक्टर खण्डार से प्राप्त जॉच रिपोर्ट मय संलग्नक मय रिकार्ड मय परिवादिया के परिवाद मय लोकायुक्त महोदय को जिला कलेक्टर द्वारा प्रेषित जॉच रिपोर्ट की प्र0प्रति मय बयान एवं रिकार्ड की प्र0प्रति मय परिवादी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित पक्षकारों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:36:15 IST Reason: SelfAttested नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/एफ.2(100)सूकाअ/2022/1148 दिनांक 7.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.5.2022 के बिन्दु संख्या 1,3 की सूचना

भू.अभिलेख /राजस्व अनुभाग से संबंधित थी जो संबंधित विभागों से संकलित की जाकर कुल 14 पृष्ठों की सूचना के लिए नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क 28/-रू जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.2 /सूकाअ/2022/407 दिनांक 14.6.2022 से लिखा जा चुका है किन्तु वांछित शुल्क जमा नही करवाने तथा बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है साथ ही लोकायुक्त सचिवालय को प्रेषित रिपोर्ट के संदर्भ मे भी अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार से प्राप्त जवाब नोटिस के अनुसार उक्त बिन्दु की सूचना कुल 6 पृष्ठों की अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2257 दिनांक 23.6.2022 से रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3 मे चाही गयी सूचना, के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ.2/सूकाअ/2022/407 दिनांक 14.6.2022 से 28/-रू जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण अभी तक सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जा चुकी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना वांछित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:15 IST
Reason: SelfAttested